सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 17.06.2025 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
1	**जन प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को डेढ़ गुणा बढ़ाने के संबंध में।**	दिनांक 12.06.2025 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ हुई बैठक के संदर्भ में मुख्यमंत्री का कार्यालय (जनसंपर्क कोषांग) प्रेस विज्ञप्ति संख्या–cm-286 दिनांक 12.06.2025 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा के बिन्दु–2 के आलोक में प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप उपस्थापित किया जाये। **(अनुपालन–प्रशाखा–4)**
2	**ग्राम कचहरी के कार्यालय हेतु सफाई कर्मी इत्यादि की व्यवस्था।**	ग्राम कचहरी के द्वारा प्रति माह किस–किस मद में कितना resource generate किया जाता है, के संबंध में 5–7 जिलों से 2–2 ग्राम कचहरी का प्रतिवेदन मंगवाकर आंकलन किया जाए एवं तदालोक में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर उपस्थापित करें। उक्त के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति हेतु वित्त विभाग को भेजी जाएगी। **(अनुपालन–प्रशाखा–4)**
3	**PRIs एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु राशि की मांग के संबंध में**	PRIs एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के संबंध में इस बिन्दु पर Analysis किया जाना है कि जिलावार प्रति बूथ निर्वाचन पर कितनी राशि व्यय की गई (जिलों के कुल बूथ की संख्या एवं इस पर कुल व्यय राशि के आधार पर)। विभागीय पत्रों के आलोक में PRIs एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु प्रति बूथ निश्चित राशि (11 हजार रुपये) से यदि अधिक राशि की मांग जिला द्वारा की जाती है, उस स्थिति में जिला से प्रति बूथ निश्चित राशि से अधिक राशि व्यय करने हेतु जिम्मेदारी तय करने एवं मांगी गई राशि के व्यय का औचित्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए। **(अनुपालन–प्रशाखा–4)**
4	**निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के अनुश्रवण हेतु Application Develop किये जाने के संबंध में।**	निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के अनुश्रवण हेतु तैयार Application की सूचना जिलों को पत्र के माध्यम से नहीं दिया जा सका है, जिसपर संबंधित को पुनः निदेशित किया जाता है कि सभी जिलों / ग्रामीण क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) / भवन निर्माण विभाग एवं अन्य सभी संबंधितों को **एक दिन के अंदर** संसूचित किया जाये। अगली बैठक में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी। **(अनुपालन–सभी प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा–2 / अनुश्रवण कोषांग)**

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
5	सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन में एकरारनामा के शर्तो के प्रावधानानुसार कार्रवाई करने के संबंध में।	मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना अंतर्गत चयनित एजेंसी के Warehouse एवं सिग्नल लॉस/ फॉल्टी सोलर स्ट्रीट लाईट का विभागीय पदाधिकारी द्वारा जांच कर फॉल्टी लाईट्स को संबंधित एजेंसी के लैब में जांच के लिए भेजा जाए। साथ ही उपर्युक्त जांच से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भी दिया जाये ताकि एकरारनामा अनुसार उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। 2. ब्रेडा, पटना के साथ दिनांक 20.06.2025 को 11.00 बजे पूर्वा0 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन एवं CMS का समीक्षा बैठक आयोजित किया जाये। (अनुपालन–सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा–3/अनुश्रवण कोषांग)
6	पंचायत सचिव का अनिवार्य **Institutional Training.**	पंचायत सचिव का अनिवार्य प्रशिक्षण एवं सेवा सम्पुष्ट किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु संचिका आवश्यक संशोधन के साथ पुनः शीघ्र उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–4)
7	एस0पी0एम0यू0 / डी0पी0एम0यू0।	राज्य एवं जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु मानव बल की स्वीकृति के संबंध में लोक वित्त समिति के मंतव्य के आलोक में संशोधित प्रस्ताव के साथ उच्च स्तरीय निर्णय हेतु संचिका यथाशीघ्र उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–3)
8	**DPRC में फर्नीचर से संबंधित Gap Study।**	पूर्व में दिये गये निदेश के बावजूद बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI) द्वारा DPRC में फर्नीचर से संबंधित संशोधित Gap Study उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन पुनः **दो दिनों** के अंदर उपलब्ध कराया जाये। (अनुपालन– बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)
9	**राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना।**	(i) RGSA के प्रावधानानुसार Trainer को Empanel किये जाने के पश्चात् उनके क्षमता निर्माण एवं Certification हेतु NIRDPR, Hyderabad से समन्वय स्थापित कर Training एवं Certification सुनिश्चित करें। (ii) बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था द्वारा IEC के Tender की अद्यतन स्थिति तथा Manpower एवं कम्प्यूटर के संबंध में RGSA योजना के प्रावधान एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 का अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आलोक में टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर समीक्षा हेतु प्रशाखा–2 के प्रभारी पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI) के माध्यम से उपस्थापित की जाये।

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
		(iii) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों एवं सम्बद्ध कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंधित विस्तृत योजना (वेन्यू, ट्रेनर, Component-wise यूनिट कॉस्ट एवं बजट इत्यादि) BSPRI द्वारा तैयार कर उपस्थापित किये जाने का निदेश पूर्व में दिया गया था, जो अबतक उपस्थापित नहीं किया गया है। अतएव अगले **दो दिनों** के अंदर उक्त विस्तृत योजना उपस्थापित किया जाये। (iv) विभागीय संकल्प संख्या–5749 दिनांक 24.09.2020 की कंडिका–10 में उल्लिखित है कि– "लोक वित्त समिति की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्राप्त है कि कोई नया पद का सृजन नहीं किया जाएगा एवं वर्तमान स्वीकृत पदों के विरूद्ध कोई नया नियोजन नहीं किया जाएगा।" संकल्प की उक्त कंडिका को क्षांत किये जाने हेतु प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप आवश्यक दस्तावेज के साथ उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाये। (v) RGSA योजना का विस्तृत समीक्षा दिनांक 26.06.2025 को की जाएगी, जिसमें परियोजना निदेशक, BSPRI एवं प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा–2 निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। समीक्षा बैठक हेतु निर्धारित समय की सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था के द्वारा RGSA की वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना एवं प्रावधानानुसार योजना का क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। **(अनुपालन–प्रशाखा–2 एवं बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)**
10	**अंकेक्षक**	(i) अंकेक्षकों के Restructuring हेतु प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन के लिए उपस्थापित करें। (ii) अंकेक्षक एवं लेखापाल को Financial Statement Double Entry System के माध्यम से तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाये। (iii) Tally के माध्यम से Accounting एवं Financial Management के लिए निविदा हेतु आवश्यक कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करने का निदेश। (iv) पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं पंचायत समिति के कार्यालय में पदस्थापित अंकेक्षकों का कार्य आवंटन के संबंध में निर्णय हेतु संचिका उपस्थापित किया जाये। **(अनुपालन–प्रशाखा–7)**

क्र० सं०	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
11	**जिलों का प्रदर्शन आधारित रैंकिंग (Performance Based Ranking)**	जिलों का प्रदर्शन आधारित रैंकिंग किये जाने हेतु निर्धारित मूल्यांकन पैमाना (Criteria) एवं उसका Weightage इत्यादि के संबंध में तैयार प्रतिवेदन समीक्षा हेतु उपस्थापित किया जाये। **(अनुपालन–प्रशाखा–1, 3 एवं अनुश्रवण कोषांग)**
12	**अनुश्रवण कोषांग / अनुश्रवण एवं मूल्यांकन** (M&E)	ई–ग्राम स्वराज पोर्टल एवं ई–पंचायत पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का गुणात्मक विश्लेषण (Qualitative Analysis) कर व्यय, वित्तीय नियमावली का पालन, Vendor के repetitive payment आदि की समीक्षा कर विस्तृत जांच हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। **(अनुपालन–अनुश्रवण कोषांग)**

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

19/6/25

(मनोज कुमार)
सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/7795/पं०रा० पटना, दिनांक 20/6/2025

प्रतिलिपिः विशेष सचिव/निदेशक/परियोजना निदेशक/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी अनुश्रवण कोषांग/राज्य परियोजना प्रबंधक, मानव संसाधन–सह–प्रशासन, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना/श्रीमती रंजना कुमारी, आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/7795/पं०रा० पटना, दिनांक 20/6/2025

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/7795/पं०रा० पटना, दिनांक 20/6/2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना